फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

शानूदेवी बनाम सीता देवी आदि

किस्म मुकदमाः—212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः—156/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.12.2019	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस वकील उभय पक्ष दिनांक 09.12.2019 को सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बताया कि बेलीराम के नाम वाके चक 1 एफ.डी.एम. का प0न0 84/339 का कि0न0 1 ता 25/6. 325 बीघा भूमि बतौर पौग बांध विस्थापित नियमों में आवंटन की गई थी उक्त भूमि परिवाद के सदस्यों को शामिल करते हुए परिवार को एक ईकाई मानते हुए आवंटन की गई थी। परिवार के समस्त सदस्यों ने धन व परिश्रम से उक्त भूमि को काश्त योग्य बनाया था। सभी के सहयोग से भूमि की तमाम किश्ते राजकोष में जमा करवाने के बाद भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। बेलीराम की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि उसके वारिसान अप्रार्थी नं. 1 सीतादेवी व दो पुत्र शिवराम तथा सूरमा तथा तीन पुत्रियां शानूदेवी, बीनूदेवी व मोनिका कुल 6 वारिसान को प्राप्त हुई जिसमें प्रत्येक का 1/6 हिस्सा प्राप्त हुआ। अप्रार्थी सं. 2 व 3 ता 4 के पति व पिता द्वारा अपनी आवश्यकताओं नाजायज तौर पर भूमि परिवार के अन्य सदस्यों को धोखें में रखकर भूमि का बेचान कर दिया एवं उक्त प्रतिफल से अपने हितों को साधने के लिये भूमि अन्यत्र खरीद कर ली। मात्र सूरमा को छोड़कर प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम की अंकित भूमि का बेचान सुरेन्द्र कुमार पुत्र मनफुलराम के पक्ष में 5.060 है0 को बेचान कर दिया। सूरमा की मृत्यु हो चुकी है। उसके नाम चक 1 एफ.डी.एम. का प0न0 84/339 का 1. 054 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड है।उक्त भूमि सभी सदस्यों के परिश्रम से बनायी गई थी। सूरमा प्रार्थीया का सगा भाई था तथा अप्रार्थी नं. 1 का पुत्र व अप्रार्थी नं. 3 व 4 का सगा भाई था। उसके देहान्त के बाद उक्त भूमि में सभी वारिसान के हक आहूत हो चुके है जिसमें प्रत्येक वारिसान का 1/5, 1/15 हिस्सा बनता है। प्रार्थीया की माता अप्रार्थी नं. 1 व्योवृद्ध है, जो अपने मृतक पुत्र शिवराम की पत्नि व पौत्र अप्रार्थी सं. 2/1 ता 2/3 के साथ रहती है व उसके दवाब में है, दबाव के कारण अप्रार्थी सं. 2/1 ता 2/3 उसे मानसिक पीड़ा देते है एवं प्रताड़ित करते है ऐसे में अप्रार्थी संख्या 1 उनके दवाब में आकर भूमि को खुर्द बुर्द करने का उतारू है, यदि उनेक बहकावे में अथवा दवाब में बेचान आदि करवा लिया तो प्रार्थीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अप्रार्थी संख्या 1 के पास जीवनयापन के लिये कोई ओर साधन नही है। इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 1 एफडीएम के प0न0 84/339 कि0न0 1 ता 25 में 25.00 बीघा भूमि में से मृतक सुरमा के नाम से अंकित 1.054 है0 भूमि को अप्रार्थी नं. 1 व 2/1 ता 2/4 किसी भी प्रकार वाद के अंतिम निर्णय तक रहन बैय खुर्द बुर्द नही करें एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। कानूनी नजीर आरएलडब्लयू 2015(1) पृष्ठ सं. 450 व आरएलडब्लयू 2012(2) पृष्ठ 1085 प्रस्तुत की। वकील अप्रार्थीगण 1, 2/1 ता 2/3 ने बताया कि मृतक बेलीराम अप्रार्थीगण का ससूर व दादा था को बतौर पौग बांध विस्थापित रकबा आवंटन हुआ था। उक्त भूमि उनकी स्वअर्जित भूमि की श्रेणी में आती थी। प्रार्थीया ने	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

स्वयं के हिस्सा की भूमि का 1/6 हिस्सा पूर्व में प्राप्त कर लिया है। प्रार्थीया अपने मृतक भाई सूरमा के नाम 1/6 हिस्सा भूमि में हक प्राप्त करना चाहती है। जो की गैरकानूनी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसरण में मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी में वारिसों में उसका हक विरास्तन चला जायेगा। जैरवाद भूमि में भूमि मृतक सुरमा के नाम जो जैरवाद भूमि थी व उसके मरने के बाद प्रथम श्रेणी की वारिस माता अप्रार्थी संख्या 1 सीतादेवी के नाम विरास्तन इंतकाल दर्ज हो गई। प्रार्थीया हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधि0 के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिसों में न्यागत नही है। जैरवाद प्रकरण में सूरमा की मृत्यु के बाद उसकी माता अप्रार्थीया नं. 1 सीतादेवी माता होने के नाते प्रथम श्रेणी की वारिस है व उसके नाम से विरास्तन इंतकाल संख्या 349 दिनांक 20.04.2018 दर्ज राजस्व रिकार्ड दर्ज हो गया व सीतादेवी ने अपने नाम दर्ज जैरवाद भूमि 1/6 हिस्सा अपनी स्वेच्छा से अपने पोते गगनदीप सिंह अप्रार्थी नं. 2/2 के नाम से दान पत्र दिनांक 23.08.2018 को उप पंजीयक सूरतगढ़ में तस्दीक करवा दिया व इस दान पात्र के आधार पर अप्रार्थी नं. 02 गगनदीप सिंह के नाम इस इस जैरवाद भूमि का इंतकाल नंबर 360 दिनांक 07.09.2018 को तस्दीक हो गया। प्रार्थीया मृतक सुरमा की प्रथम श्रेणी की वारिस नही है। प्रथम श्रेणी की वारिस सुरमा की माता सीतादेवी थी उसके नाम से विरास्तन इंतकाल दर्ज हो गया था व उसने रजि0 दस्तावेज भूमि हस्तातंरण कर दी है। रजिस्टर्ड दान पात्र एवं इंतकाल को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी है। अप्रार्थीगण 2/1 ता 2/3 अपनी सासु/दादी को प्यार से रखते है व दवा दारू करते है। अप्रार्थी संख्या 2 रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 विधि विरूद्ध होने के निरस्त किया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीया ने स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि उसको अपने पिता 1/6 हिस्सा प्राप्त हो गया था। प्रार्थीया ने अपने भाई सूरमा के हिस्सा में से हक प्राप्त करना चाहती है। सूरमा की मृत्यु के पश्चात् उनकी माता सीतादेवी के नाम विरास्तन इंतकाल दर्ज हो गई। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में प्रथम श्रेणी में माता आती है। इसी के अनुसरण में सूरमा की मृत्यु के पश्चात उनकी माता के नाम उनकी भूमि दर्ज हो गई। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार उक्त रकबा सीतादेवी का स्वअर्जित रकबा है। सीतादेवी अपने नाम का रकबा किसी को भी हस्तातंरण करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिये अप्रार्थीया नं. 1 व 2/1 ता 2/4 को जरिये निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीया की ओर नही होना प्रकट होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.0पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत यह प्रा0पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है। तथा पूर्व में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 04.09.2018 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.27 12:49:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: